RTE RECOGNITION LETTER

(387)

प्रारूप-2

(नियम 8 क का उप-नियम (4) देखिए)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर, राजस्थान

क्रमांक जिशिअ/प्रशि/ जय/ सा-5/ फा- मान्यता / सम्बद्धता/ आर.टी.ई. जयपुर पश्चिम /329 /2012 दिनांक:- 15/10/12

संस्था सचिव
ब्लू हेवन विद्यालय
SFS, मानसरोवर
जयपुर

website - dee raj. nic. in

विषय : नियम 8-क के उप-नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता / सम्बद्धता प्रमाण पत्र।

आपके आवेदन दिनांक 9.7.12 और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ किये गये पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार / निरीक्षण के संदर्भ में, मैं जिला शिक्षा अधिकारी प्रा. शि. जयपुर (विद्यालय का नाम और पता) ब्लू हेवन विद्यालय, SFS मानसरोवर जयपुर को 01.04.12 से 31.03.15 तक तीन वर्ष की कालावधि के लिये कक्षा 1 से VIII तक के लिये अन्तरिम मान्यता / सम्बद्धता मंजूर करता हूं।

उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगी:-

1. मान्यता के लिये मंजूरी विस्तारणीय नही होगी और किसी भी तरह कक्षा 8 से आगे मान्यता / सम्बद्धता की कोई बाध्यता अन्तर्हित नही होगी।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं 35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय, कक्षा-1 में या, यथास्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 का अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तक आस-पड़ौस के कमजोर वर्ग और अभावग्रस्त समूह से सम्बन्धित बालकों को प्रवेश देगा और प्रार. शिक्षा की समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालयों का राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी / विद्यालय कोई प्रति व्यक्ति फीस संग्रहित नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी छंटाई प्रक्रिया का पात्र नहीं बनायेगा।
6. विद्यालय आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक को प्रवेश से इन्कार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि

Principal प्रधानाध्यापक
Blue Heaven Vidyalaya
SFS, Agarwal Farm
Mansarovar, Jaipur (Raj.)

PRINCIPAL
BLUE HEAVEN VIDYALAYA
SFS, AGARWAL FARM,
MANSAROVER, JAIPUR

Principal
Blue Heaven Vidyalaya
SFS, Agarwal Farm
Mansarovar, Jaipur (Raj.)